

# न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का पीपलाद

बनाम

अप्रार्थी :- छोदूराम पुत्र श्री मूलाराम नि-पीपलाद

अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 5/19

निर्णय दिनांक :-21.08.2019

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पीपलाद ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2076 में सरहद पीपलाद के ख.न. 574 रकबा 0.04 है भूमि किस्म गै0मु0 नाला में बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी का नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण उपस्थित हुये अप्रार्थीगण के और से देवेन्द्र मालाकार ने वकालत नाम पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण ने जबाब प्रस्तुत किया है कि मेरे द्वारा ख0न0 574 की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं है। जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं भू0अ0निरीक्षक परबतसर से जबाब की जांच कराई जिनकी रिपोर्ट के अनुसार मौजा पीपलाद के ख.न 574 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि किस्म गै0मु0 नाला में अप्रार्थी अतिक्रमण पाया गया।

प्रस्तुत भू0अ0निरीक्षक परबतसर व पटवारी हल्का पीपलाद की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 14 रूपये प्रति हेक्ट. से अतिक्रमित भूमि 0.04 है के 0.56 रूपये के लगान का 50 गुणा 28/- अक्षरे अठाईस रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का पीपलाद को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

2019-20

पत्रिका का क्रम ..... 10...  
पत्र प्रसूत का क्रम ..... 28/..... 20 को  
काग दर्ज की गई।

तहसीलदार परबतसर

तहसील राजस्व लेखाकार